"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगत (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेत् ानुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगत जट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30- -2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2013—फाल्गुन 9, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-04/41/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 685-3507-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 5 फरवरी, 1969 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण नवापारा, जिला-रायपुर के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थान, जिसमें कोई भी संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित है, को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उप-मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम-नवागांव, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर स्थित खसरा नं. 1018 का लगभग 8.00 हेक्टेयर क्षेत्र :—

सीमाएं

1.	उत्तर में	—	हाई स्कूल का निर्माण एवं शासकीय भूमि
2.	दक्षिण में	—	तालाब
3.	पूर्व में	—	घास भूमि
4.	पश्चिम में	—	रास्ता (सड़क)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/एफ-04/41/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-04/41/2010/14-2 दिनांक 28 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 28th February 2013

NOTIFICATION

No./F-04/41/2010/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the following places including any structure, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard in the market area of Market yard Nawapara District Raipur declared vide notification No. 685-3507-XIV-I, Bhopal, dated 5th February, 1969 of the department, namely :—

PLACE

An area of about 8.00 hectare of Khasara No. 1018 at village Nawagaon, tahsil Abhanpur, Raipur District Surrounded by :—

BOUNDARIES

1.	North side	—	High School construction and Government Land
2.	South side	—	Tank
3.	East side	—	Grass Land
4.	West side	—	Way (Road)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.